

**1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर**  
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18, के अंत की स्थिति के अनुसार)  
लागत (₹ करोड़)

	2017-18 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2017-18 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2017-18 के अंत में परिसम्पत्तियों का संचयी योग
<b>वास्तविक परिसम्पत्तियां:</b>			
भूमि	352661.33	4228.35	356889.67
भवन			
कार्यालय	34749.89	2231.41	36981.30
रिहायशी	17554.65	505.68	18060.33
सड़कें	12143.34	132.94	12276.28
पुल	11900.91	48.83	11949.74
सिंचाई परियोजनाएं	1320.81	15.37	1336.18
विद्युत परियोजनाएं	606.26	73.39	679.65
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	3741.33	557.48	4298.81
मशीनरी और उपस्कर	41537.15	1297.73	42834.89
कार्यालय उपस्कर	3181.53	291.93	3473.46
वाहन	2287.77	193.62	2481.39
<b>जोड़</b>	<b>481684.96</b>	<b>9576.73</b>	<b>491261.69</b>
<b>वित्तीय परिसम्पत्तियां</b>			
इक्विटी निवेश			
शेयर	226416.88	104375.12	330792.00
बोनस शेयर	597.32	0.00	597.32
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को ऋण	3567.86	-18.74	3549.12
विदेशी सरकारों को ऋण	13501.10	575.94	14077.04
कम्पनियों को ऋण	71804.53	-2733.45	69071.08
अन्य को ऋण	50331.12	10513.56	60844.68
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	301387.88	43558.86	344946.74
अन्य	194588.01	549.96	195137.97
<b>जोड़</b>	<b>862194.69</b>	<b>156821.25</b>	<b>1019015.95</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>1343879.66</b>	<b>166397.98</b>	<b>1510277.64</b>

**टिप्पणियां:**

- 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संग्रहित करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (₹2,522 करोड़) में कुछ वित्तीय आस्तियों के अथ शेष में संशोधन और आवास और शहरी मामले मंत्रालय (₹1,651 करोड़) द्वारा यथासूचित दरों के संशोधन के कारण भूमि के लागत मूल्य में वृद्धि के कारण है।